भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5632

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएचएम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधियों का बंटवारा

5632. डॉ. राजीव भारद्वाजः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली धनराशि का अनुपात क्या है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों में उक्त अनुपात भिन्न है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वियन योजना (पीआईपी) में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उपलब्ध संसाधनों (आरई) के अध्यधीन तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों से उनकी कार्यक्रम कार्यान्वियन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपलब्ध संसाधनों तथा मौजूदा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं।

एनएचएम और पीएम-एबीएचआईएम के तहत निधियां जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन है।

इसके अलावा, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 अ.शा. पत्र सं. 32/पीएसओ/एफएस/2015 के अनुसार वित्त-पोषण केंद्र और राज्य के बीच 60:40 (8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) और विधान मंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100:0 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

*****